न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
301/2023	21.08.2023	05.09.2024

उनवान

1. शांतिलाल पुत्र लक्ष्मण बैरवा आयु बालिग निवासी बैरवा मोहल्ला, कुंभा सर्कल के पास, आजादनगर, भीलवाड़ा राज.

–– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

–– विपक्षी

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से अमित कोठारी
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

पत्रावली आज दिनांक 04.09.2024 को शीघ्र सुनवाई हेतु पेश हुई। दिनांक 05.09.2024 से पत्रावली आज सीधे से तलब की गई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की ग्राम पुर पटवार क्षैत्र पुर प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 9591/6767 रकबा 3.2245 हैक्टयर स्थित है । उक्त वर्णित आराजियात का राजस्व नक्शे के अन्तर्गत रकबे अनुसार तत्समय के पटवारी हल्का द्वारा सही इन्द्राजित नहीं कर गलत इन्द्राज कर रखा है अर्थात् राजस्व नक्शे के अन्तर्गत प्रार्थी की आराजी का क्षैत्रफल कम दर्शा रखा है । राजस्व नक्शे में गलत अंकन होने से प्रार्थी के हक व अधिकारों पर आंच आने की पूर्ण संभावना है। इस हेतु राजस्व नक्शे में प्रार्थी के रकबे अनुसार इन्द्राज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये विपक्षी की और से जवाब पेश हुआ। विपक्षी की और से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राजस्व रेकार्ड में ग्राम पुर की आराजी संख्या 9591/6767 रकबा 3.2245 हैक्टेयर खातेदार शान्तिलाल बैरवा पुत्र लक्ष्मण बैरवा हिस्सा पूर्ण सा० कुम्भा सर्कल के पास आजाद नगर भीलवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजस्व ग्राम पुर की आराजी संख्या 9591/6767 नक्शा की रकबा बरारी करने से आराजी का कुल रकबा 10–14 बीघा बनता है, जो खातेदार के रकबे 12–15 बीघा के मुकाबले 2–01 बीघा कम है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मौके पर मुस्तकील निशान से जरीब चला कर आराजी संख्या 9591/6767 की नपती करने पर रकबा 10–14 बीघा है, मौके पर प्रार्थी ने 2–01 बीघा आराजी संख्या 6768 भूमि (वन विभाग की भूमि) पर जेसीबी से डोल डाल कर 2–01 भूमि पर एवं अपनी भूमि मिलाकर 12–15 पर कब्जा कर रखा है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। ग्राम पुर की आराजी संख्या 9591/6767 रकबा 3.2245 हैक्टयर अर्थात् 12 बीघा 15 बिस्वा भुमि में से 02 बीघा 01 बिस्वा भुमि राजस्व नक्शे में कम दर्शाई हुई है जो त्रुटिपूर्ण है। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम पुर की आराजी संख्या 9591/6767 रकबा 3.2245 हैक्टयर अर्थात् 12 बीघा 15 बिस्वा भुमि में से 02 बीघा 01 बिस्वा भुमि राजस्व नक्शे में कम दर्शाई हुई है जो त्रुटिपूर्ण है। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नक्शें में तरमीम किये जाने के इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा